कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक-471 /FP/UK/PIPELINE/148743/2021: देहरादूनः दिनांकः 8 सितम्बर 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद ऊधमसिंह नगर इंडियन–ऑयल–अड़ानी गैस प्रा0 लि0 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–74 (रूद्रपूर–किच्छा मार्ग की बायीं पटरी) के किमी0 221.150 (निकट महिंद्रा–महिंद्रा पलांट, लालपुर रूद्रपुर) से कि0मी0 227.200 (एच0पी0सी0एल पैट्रोल पम्प, होटल नीलकंठ के सामने, किच्छा बाईपास, किच्छा) कुल लम्बाई 6.05 कि0मी0 तक सड़क के किनारे पर ओपन ट्रैंच/एच0डी0डी0 तकनीक के माध्यम से भूमिगत 8" व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाए जाने हेतु 0.3025 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु इंडियन ऑयल–अडानी गैस प्रा0लि0 को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबध मे।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/09/84/2022/एफ0सी0/1896दिनांकः–27.03.2023 एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक–28.07.2023।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार के द्वारा विषयांकित प्रकरण पर दिनांक–27.03.2023 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसकी अनुपालन आख्या वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी के पत्र/दिनांक 23.06.2023 एवं दिनांक–02.09.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी हैः–

क्र0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु संख्या–01 का अनुपालन **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा किया जाएगा। वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न **(संलग्नक– 1)**
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु संख्या–02 के अनुपालन में **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वन भूमि सौपीं जाएगी।**(संलग्नकः 2)**
3	प्रतिपूरक वनीकरणः	
क	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अवनत वन भूमि, खैर भाखडा ब्लॉक, एन–1 गदगदिया राजि (तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर) पर 600 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु संख्या–03(क) के अनुपालन में **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा रिक्त पड़े स्थानों पर 600 पौधों का रोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु धनराशि रु0 10,62,600.00 (दस लाख, बांसठ हजार, छह सौ रूपये मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 26.05.2023 को कैम्पा फन्ड में जमा करा दी गयी है। ऑन–लाइन चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक– 3)** साथ ही प्रभागीय कार्यालय द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
ख	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु संख्या–03(ख) के अनुसार वन प्रभाग द्वारा शर्त में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय

	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	है कि बिन्दु संख्या–04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिक्त पड़े स्थानों पर 600 पौधों का रोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु धनराशी रु0 10,62,600.00 (दस लाख, बांसठ हजार, छह सौ रूपये मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 26.05.2023 को कैम्पा फन्ड में जमा करा दी गयी है। ऑन–लाइन चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक– 4)** साथ ही वन प्रभाग द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में वृक्षारोपण करने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन किया जायेगा।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्यः**	
क	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्यारू 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt- 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5दृ3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.3025 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित हो रही 0.3025 हे0 वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशी रु0 3,71,649.00 (तीन लाख, इकहत्तर हजार, छह सौ उनचास रूपये मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 26.05.2023 को कैम्पा फन्ड में जमा करा दी गयी है। ऑन–लाइन चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक– 5)**
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा परियोजना में प्रभावित हो रही 0.3025 है0 वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशी रु0 3,71,649.00 (तीन लाख, इकहत्तर हजार, छह सौ उनचास रूपये मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 26.05.2023 को कैम्पा फन्ड में जमा करा दी गयी है। यदि भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है, तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मॉग के अनुसार किया जायेगा। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।**(संलग्नक–5(ख))**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में किसी भी प्रकार के वृक्ष का काटन/पातन नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में किसी भी प्रकार के वृक्ष का काटन/पातन नहीं किया जाएगा। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–6)**
7	In case of malfunctioning of pipelines by way of leakage or other similar reasons, which is likely to cause damage to the flora and fauna of the surrounding forest, the same will be compensated by the user agency and the forest land will be restored to its original state at the cost of user agency. In this regard the relevant rules, regulations, standards and guidelines made by OISD (Oil Industry Safety Directorate) and PNGRB (Petroleum and Natural Gas Regulatory Board) under Ministry of Petroleum & Natural Gas; and PESO (Petroleum and Explosive Safety Organisation) under DPIIT shall be strictly followed and monitored at the appropriate level. Therefore, the state govt. is requested to submit the undertaking in this regard.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा We hereby undertake that, During the Execution / Operation Time, in case of malfunctioning of pipelines by way of leakage or other similar reasons may occurs, which is likely to cause damage to the flora and fauna of the surrounding forest, the same will be compensate by us and the forest land will be restored to its original state on our cost. We also undertake that we strictly follow & monitor the relevant rules, regulations, standards and guidelines made by OISD (Oil Industry Safety Directorate) and PNGRB (Petroleum and Natural Gas Regulatory Board) under Ministry of Petroleum & Natural Gas and PESO (Petroleum and Explosive Safety Organisation) under DPIIT; in all course of time. के अुनपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नकः–7)**
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि

	क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।	14,34,249.00(चौदह लाख, चौंतीस हजार, दो सौ उनचास रूपये मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 26.05.2023 को कैम्पा फन्ड में जमा करा दी गयी है। ऑन–लाइन चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–8)**
9	एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा एफ0आर0ए0 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न है।**(संलग्नक–9)**
10	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा शर्त में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा शर्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।
12	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा शर्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।
13	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा शर्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा सम्बन्धित स्वीकृति की आवश्यकता नही है। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक– 10)**
15	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी जाती है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रकरण के ले–आउट प्लॉन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–11)**
16	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक– 12)**
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन, अन्य व्यवस्था आदि की पूर्ती याचक विभाग द्वारा की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–13)**
18	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearings, अंकित हो ।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा, जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित होंगी।वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक– 14)**
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न। **(संलग्नक–15)**
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि

	जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–16)**
21	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा अवगतनीय है कि **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेंसियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक– 17)**
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या–11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार स्वयं उत्तरदायी होंगे। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न। **(संलग्नक–18)**
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	**प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें मान्य होंगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक– 19)**
24	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे ना गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	**प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा परियोजना से उत्पन्न होने वाले–मलवे का परियोजना स्थल में ही भराव, समतलीकरण आदि कार्यों में उपयोग कर लिया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का मलवा वन भूमि या नदी, नालों में नहीं डाला जायेगा।**(संलग्नक –20)**
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमती प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ली जाएगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।**(संलग्नक– 21)**
26	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचनबद्धता दी गयी है कि प्रकरण में वांछित सामरत बिन्दुओं पर वाही गयी अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर उपलब्ध करा दी जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक– 22)**

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–2287/12–1,दिनांक 23.06.2023 एवं दिनांक–02.09.2023 द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
08/9/23
(आर0के0मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।

संख्या :471 / FP/UK/PIPELINE/148743/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)।

(आर0के0मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।